बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–22/2014– 344 /कृ0,पटना,दिनांक 27-01-,2017

स्थगन आदेश

कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या–939 दिनांक–22.02.2016, राज्यादेश संख्या–940 दिनांक–22.02.2016 एवं राज्यादेश संख्या–941 दिनांक–22.02.2016 के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना हरित क्रांति योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण की योजना हेतु कुल 1508.00 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ आठ लाख रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य वर्ग के लिए 1251.64 लाख रूपये (बारह करोड़ एकावन लाख चौसठ हजार रूपये), अनुसूचित जाति के लिए 241.28 लाख रूपये (दो करोड़ एकतालीस लाख अट्ठाईस हजार रूपये) एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15.08 लाख रूपये (पन्द्रह लाख आठ हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण राशि व्यय नहीं होने के कारण अवशेष राशि 1280.00 लाख रूपये को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए पुनर्वैधीकरण करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। भारत सरकार के पत्र संख्या–1–4/2016–आर.के.वी.वाई. दिनांक–09.12.2016 के द्वारा उक्त अवशेष राशि को वित्तीय वर्ष 2016–17 में हरित क्रांति योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद में निर्धारित उद्व्यय के विरूद्ध पुनर्वैधीकरण करते हुए राज्यांश मद की राशि प्रावधान करने का शर्त्त रखा गया है।

3. **उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कृषि विभाग के निर्गत राज्यादेश संख्या–939 दिनांक–22.02.2016, राज्यादेश संख्या–940 दिनांक–22.02.2016 एवं राज्यादेश संख्या–941 दिनांक–22.02.2016 को यथास्थिति में स्थगित किया जाता है।**

4. कृषि विभाग के राज्यादेश संख्या–939 दिनांक–22.02.2016, राज्यादेश संख्या–940 दिनांक–22.02.2016 एवं राज्यादेश संख्या–941 दिनांक–22.02.2016 के आलोक में जिलों में स्वीकृत गोदामों में भुगतान वर्ष 2016–17 की योजना में समाहित करते हुए की जायेगी। समाहित करने के पश्चात् भी इस मद में जिलों में किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने पर अलग से अधियाचना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग में कर सकेंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27.1.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 344 /कृ0, पटना दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 344 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\Rajyadesh 2016-17\Rajyadesh Stay Order...

ज्ञापांक 344 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 344 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), बिहार, पटना/वरीय प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित परियोजना निदेशक, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा)/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 344 /कृ0, पटना, दिनांक 27-01-2017

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110011/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001/डा० मो० शाहिद, वैज्ञानिक, फसल उत्पादन डिवीजन, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद), कटक (उड़ीसा) 753006 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.1.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।